



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.1/क.अ./ट्रेप/स.मा./21/ 629

जयपुर, दिनांक :- 2.3.21

--:आदेश:-

श्री हेमराज मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता (पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता), जिला परिषद सवाई माधोपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 25.2.2021 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

अतः श्री हेमराज मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता (पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता), जिला परिषद सवाई माधोपुर को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 25.02.2021 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाता है।

(मंजू राजपाल)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
6. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर, तृतीय, जयपुर।
8. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)